राजस्थान सरकार
निदेशालय: राज्य बीमा एवं प्रायोगिकी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 6-12-2019

आदेश 443

राज्य सरकार द्वारा शासन में शुद्धिता एवं नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से देने हेतु समय-समय पर आदेश जारी किये जाते हैं। इसी प्रक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री महादेव द्वारा आमजन/राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से दिये जाने के के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

परन्तु यह देखने में आया है कि विभाग के विभिन्न जिला कार्यालयों में राज्य कार्यकर्मियों के विभिन्न प्रकार के दावों का समयबद्ध एवं तात्पर्य गति से निर्माण नहीं करने के कारण उनके द्वारा विभिन्न माध्यमों से यथा सी.एम. हैल्प लाइन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्थान संपर्क पोर्टल, जन अभाव अभियोग निरस्तरण समिति, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री महादेव के जनसुनवाई कार्यक्रमों में शिकायतें दर्ज कराती हैं, जिससे विभाग की छवि धुनत होती है एवं उच्चाधिकारियों द्वारा भी कार्यकर्मियों के दावे समय पर निर्तारित नहीं होने पर नाराजगी एवं गंभीरता से लिया गया है तथा उक्त योजनाओं की क्रियान्विति समयबद्ध तरीके से नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाह करने के निर्देश दिये गये हैं।

राज्य बीमा विभाग द्वारा भी राजस्थान सरकार के आदेशानुसार राज्य कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यक प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है यथा राज्य बीमा, सामाजिक प्रार्थकी निधि, राजीव पेंशन प्रणाली एवं साधारण बीमा योजना की विभिन्न योजनाओं के साथ मेडिकल के योजना समिलित हैं। इन योजनाओं के अनेक प्रक्रियां निरस्तरण के आमाव में लिये हैं।

अतः विभाग के समस्त अधिकारियों को व्याप्तित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में राज्य कर्मचारियों से संबंधित 3 माह से लिया एवं उत्पन्न होने वाले दावों यथा राज्य बीमा परिपक्वता, मृत्यु एवं अर्थव्यवस्था / प्रार्थकी निधि के अन्तिम भुगतान एवं स्थायी आहरण / साधारण बीमा निधि के अन्तर्गत विभिन्न दावों एवं विधिवती दुर्घटना बीमा / मेडिकल योजना का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर निरस्तरण चुनौतियों के एवं आपके कार्यालय से संबंधित प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री महादेव की जनसुनवाई में संज्ञान में आने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (रोगीकरण, नियमांकन एवं अपील) नियम 1958 के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने जायेंगे।
अत: आप आपके कार्यालय में मृतक कार्मिकों के लिए राज्य बीमा, प्राक्कार कार्यालय में साइडारण बीमा निधि के साथ संबंधित मृत्यु स्वतंत्र दावों का अवलंब किया गया। सी.एम. हैल्स लाइन एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निष्ठापूर्वक शुरू किया जाये एवं अधीक्षकाधिकारकों को लिखित प्रतिवेदन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यदि विभागीय कार्यालयों में उक्त लिखित प्रकरणों के निष्ठापूर्वक दर्ज प्रकरणों के निष्ठापूर्वक दायित्व निर्धारण करने पर संबंधित अधिकारी सृजन दीप पर उत्तरदायी होगा।

(आनंद स्वरूप)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्राक्कारी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ए.पी. 125./भाग-4/संस्था/बीमा/2019/10/3-2-82   दिनांक 06-12-2019

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाधिकृत एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रस्तुत है:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, विद्यालय (व्यक्ति) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, विद्यालय (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (राज्य बीमा/प्राक्कारी निधि/एनपीएस/ सतर्कता/साइडारण बीमा निधि) राज्य बीमा एवं प्राक्कारी निधि विभाग, मुख्यालय/साइडारण बीमा निधि कार्यालय जयपुर को निदेश है कि आपसे संबंधित योजनाओं के लिए प्रकरणों के निष्ठापूर्वक दायित्व निर्धारण करने पर स्वयं उत्तरदायी होना अनुमति करना से लिया जाये।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहाय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्राक्कारी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर/साइडारण बीमा निधि/संभागीय/जिला कार्यालय को हिदायत है कि आपके अधीनस्थ कार्यालय में संबंधित प्रकरणों के निष्ठापूर्वक दर्ज करने दी एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होग।
5. निजी सचिव, निदेशक, मुख्यालय जयपुर।

(कृष्णदीप डय)  
अतिरिक्त निदेशक (भाग्य)  
राज्य बीमा एवं प्राक्कारी निधि विभाग,  
राजस्थान जयपुर